न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चतरा ।

आदेश

वाद सं0– 73 / 2017

फुलवा देवी @ फुलमतिया देवी वगैरह

बनाम

शम्भू राणा वगैरह

आदेश की क्र0सं0 और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
26.05.2025	प्रस्तुत अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक– 54 दिनांक– 24.01.2017 के आलोक में कायम किया गया है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी यथा प्रथम पक्ष की ओर से क्रमशः फुलवा देवी @ फुलमतिया देवी पति– स्व0 मुंशी राणा (2) पप्पु कुमार राणा पिता– स्व0 मुंशी राणा (3) नगिया देवी पति– स्व0 धनु राणा (4) काजल कुमारी (नाबालिग) पिता– स्व0 लक्ष्मी राणा है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य (1) शम्भू राणा (2) रघुनाथ राणा पिता– स्व0 जमुना राणा (3) दिनेश राणा पिता– स्व0 पचन राणा सभी ग्राम– कोसमाडीह, थाना– राजपुर, थाना सं0–120 के खाता सं0–05 अन्तर्गत कुल प्लॉटों की सं0–81 में रकवा– 4.05 एकड़ भूमि का द्वितीय पक्ष के नाम से चल रहे जमाबंदी के विरूद्ध मधे रकवा– 2.025 एकड़ का जमाबंदी प्रथम पक्ष अपने नाम से कराने से संबंधित है। वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक– 01.06.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु आवेदकगण् अर्थात प्रथम के सदस्य वाद की कार्रवाई के क्रम में कभी–कभी न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसमें अंतिम रूप से दिनांक– 06.02.2019 को उपस्थित होने के बाद से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण् कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट है कि इस वाद में आवेदकगण् (प्रथम पक्ष) एवं द्वितीय पक्ष की ओर से इस मामले में किसी तरह की अभिरूचि नहीं ली गई है। वाद की कार्रवाई के क्रम में अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत् मामलें में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय से दाखिल खारिज अपील वाद सं0– $\frac{46/97}{31/98}$ एवं अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के न्यायालय से निष्पादित वाद सं0–06 / 2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध पुनः इस न्यायालय में कायम जमाबंदी को रदद् करने से संबंधित है। विषयांकित मामलें के अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय से तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चतरा के द्वारा पूर्व में प्रश्नगत् मामलें में आदेश पारित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के न्यायालय में पुनः कायम जमाबंदी को रदद् करने हेतु वाद सं0– 06 / 2014–15 में आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज किया गया है, उक्त के पश्चात् पूर्व में पारित आदेश के विरूद्ध	

Odd sheet 1

Scanned with OKEN Scanner

पुनः अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से आदेश पारित किया जाना कार्य क्षेत्र से बाहर है।

निष्कर्षतः उभय पक्षों की लगातार अनुपस्थित रहने एवं किसी भी पक्ष के द्वारा इस मामलें में कोई अभिरूचि नहीं लेने की स्थिति में पूर्व के पारित आदेशों के विरूद्ध कोई निर्णय लेना अथवा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.09.18 14:59:02 +05:30
Location: fe80::db76:2711:1513:165a%13

Scanned with OKEN Scanner